न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 36 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
भूरसिंह पुत्र बाघसिंहजी, जाति राजपूत,निवासी सरत,तहसील जालोर, जिला जालोर		1.श्रीमति हवाकंवर पत्नि जोगसिंहजी, राजपूत, 2.श्रीमति छगनकंवर पत्नि छैलसिंहजी, राजपूत, 3.श्रीमति पारसकंवर पत्नि गुमानसिंह,राजपूत, निवासी राजपूतों का वास सरत 4.तहसीलदार, तहसील कार्यालय जालोर, जिला जालोर(राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 7.7.2015(ना.क.सं.322)

उपस्थिति :–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री सलीम जावेद,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 3 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.4 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 12.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने उसी खुद की खातेदारी मौजा नरपडा के खसरा नम्बर 314 रकबा 3.06हेक्टर में से 2.74 हेक्टर अपीलांट स्वयं की खातेदारी तथा 0.32 हेक्टर रेस्पोडेन्ट सं.1व 2 के नाम से चालू जमाबंदी संवत् 2072–2075 में अंकित है।अपीलाधीन म्युटेशन सं.322 दिनांक 7.7.2015 को स्वीकृत करते हुए हवाकंवर व छगनकंवर के नाम 0.72 हेक्टर भूमि अंकित कर दी जबकि अपीलांट ने बैचाननामा दिनांक 20.4.2015 में तीसरी खरीददार श्रीमति पारसकंवर जो वर्तमान अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 3 है,को बैचान किया है। पारसकंवर का नाम अपीलाधीन म्युटेशन में अंकित नही किया गया। दिनांक 20.4.15 का बैचाननामा अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं.3–पारसकंवर के पक्ष में तकमील करवाया उससे पूर्व तीन खातेदार अपीलांट,रेस्पोडेन्ट सं.1व 2 के

नाम शामलाती खातेदारी थी जिसका बंटवाडा किया हुआ नही होने से रेस्पोडेन्ट सं.3 को तकमील करवाये गये बैचाननामा दिनांक 20.4.15 में किसी विशिष्ट भू भाग का बैचाननामा रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने लिखवा दिया जो गैर कानूनी है। अपीलाधीन म्युटेशन पर आर.आई.हल्का ने गलत टिप्पणी इस प्रकार की कि जांच किया गया, अंकन सही पाया गया, जबकि बैचाननामा दिनांक 20.4.15 में खरीददार रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 है,पारसकंवर का नाम म्युटेशन में न होने के कारण विवाद होना उत्पन्न हो गया। अपीलाधीन म्युटेशन का निर्णय करने से पूर्व अपीलांट सहखातेदार अंकित था व बैचानकर्ता भी था , इस कारण म्युटेशन निर्णित होने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक था, नोटिस न देना और एकतरफा म्युटेशन स्वीकृत करना गंभीर त्रुटि है। अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी दिनांक 12.6.17को हुई जब अपीलांट ग्रामसेवा सहकारी समिति सांथू के व्यवस्थापक को मिलने जाने पर वो वहां नही मिला लेकिन जानकारी हुई कि इस म्युटेशन को चैलेन्ज करने के लिए व्यवस्थापक स्वयं ने एक अपील सं.5/2017 पेश की थी जो दिनांक 25.5.2017को विड्रो कर दी। इस प्रकार दिनांक 12.6.17को प्रथम बार जानकारी होने से दिनांक 14.7.17 को नकल लेकर अपील पेश की। लैण्ड रेकर्डस रूल्स के नियम 121 की पालना नही की गई है। बैचान का म्युटेशन प्रथम बार ग्राम पंचायत में पेश होना चाहिये था ,ग्राम पंचायत 45 दिन में निर्णय नही करती है तो तहसीलदार का क्षैत्राधिकार उत्पन्न होता है। अपीलाधीन म्युटेशन प्रथम बार तहसीलदार के समक्ष ही पेश हुआ,ग्राम पंचायत के समक्ष पेश ही नहीं हुआ। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर म्युटेशन सं. 322 दिनांक 7.7.2015 को खारिज करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र , धारा 96 ,151सी.पी.सी.का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश म्युटेशन सं.322 दिनांक 7.7.15 आदि की नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश नही किया गया है। अतःअपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3 के वकील ने बताया कि अपीलांट भूरसिंह ने दिनांक 27.12.2000 को शांतिदेवी को खसरा नम्बर 314 रकबा 1.60 हेक्टर का जरिये रजिस्ट्री बैचान किया था तथा शांतिदेवी ने

अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 314 रकबा 1.60 हेक्टर में से रकबा 0.32 हेक्टर का बेचान रेस्पोडेन्ट सं.1–हवाकंवर व 2–छगनकंवर को दिनांक 2.8.2010 को किया था। भूरसिंह ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 314रकबा0.40 हेक्टर का बैचान हवाकंवर व छगनकंवर तथा पारसकंवर को दिनांक 20.4.2015 को रजिस्ट्री द्वारा किया था। राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन 0.32 हेक्टर का हवाकंवर व छगनकंवर के नाम हुआ है तथा उसके पश्चात् 0.40 हेक्टर का म्युटेशन भी इनके नाम से हुआ है जो गलत है।खरीददार पारसकंवर कानाम नही है, अतःम्युटेशन निरस्त कर रिमाण्ड किया जावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा नरपडा के म्युटेशन सं.322 दिनांक7.7.2015 को अवलोकन करने पर उक्त म्युटेशन जरिये रजिस्ट्री बैचान दस्तावेज सं. 2015001481 दिनांक 20.4.2015 के आधार पर भरा गया है। रजिस्ट्री बैचान दस्तावेज सं.2015001481 दिनांक 20.4.2015 में अपीलांट–भूरसिंह द्वारा खरीददार रेस्पोडेन्ट सं.1–श्रीमति हवाकंवर, रेस्पोडेन्ट सं.2–श्रीमति छगनकंवर तथा रेस्पोडेन्ट सं.3–श्रीमति पारसकंवर को मौजा नरपडा के खसरा नम्बर 314 रकबा 3.06 हेक्टर में अपीलांट–भूरसिंह के हिस्से की आराजी रकबा 2.74 हेक्टर में से रकबा 0.40 हेक्टर का बैचान किया गया है लेकिन म्युटेशन केवल रेस्पोडेन्ट सं.1–श्रीमति हवाकंवर व रेस्पोडेन्ट सं.2–श्रीमति छगनकंवर के नाम ही भरा जाकर स्वीकृत किया गया है ,रेस्पोडेन्ट सं. 3–श्रीमति पारसकंवर के नाम म्युटेशन नही भरा गया है जो गलत है। अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है ।तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 7.7.15(ना.क.सं.322) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार जालोर को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि पक्षकारान् को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विवादित आराजी से सबंधित मूल रजिस्टर्ड बेचाननामा आदि की जांच व सत्यापन कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण भरने व स्वीकृत करने सबंधित आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय, आज दिनांक 12.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd/12/7/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.16 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: